Wagon allotment for Tamil Nadu Salt Industry

1961. SHRI K. RAMAMURTHY:
SHR K. T. KOSALRAM:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the reasons for the Southern Railways stopping the allotment of wagons to salt industry in Tamil Nadu;

(b) whether the Southern Railways would lose Rs. 12 lakhs a day as a consequence thereof; and

(c) whether this order has been given retrospective effect to the extent of cancelling earlier registration for wagons?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c). In pursuance of a decision taken by the Government of India on 19-12-81, booking of salt from Southern Railway to destinations beyond Cuttack was restricted by the Railways. The matter was reviewed by the Government and the ban on booking has since been lifted and necessary instructions issued by the Ministry of Railways on 3-2-82. The status quo ante was restored. The indents cancelled earlier were also restored and salt, at present, is being loaded currently.

चक्रधरपुर मंडल में आमंत्रित निविद

1962. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी :** क्या रेल रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में पी० डब्ल्यू० आई० विभाग की ओर से पत्र संख्या 7/सी०के० पी०/81–82 के अन्तर्गत 4 लाख ईंटों की सप्लाई के लिये 10 जुलाई, 1981 को निविदा आमन्त्रित की गई थी,

(ख) क्या यह भी सच है कि निविदा में कम से कम दरदेने वाली पार्टी को कार्य नहीं दिया गया,

(ग) क्या यह भी सच है कि 10 जुलाई, 1981 को आमन्त्रित की गई निविदा के बारे में 27 दिसम्बर, 1980 को निर्णय लिया गया था और उतनी देरी से निर्णय लिये जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) किसी निविदा के बारे में कितनी बार वार्ता की जा सकती है तथा उक्त निविदा के सम्बन्ध में कितनी बार वार्ता की गई थी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस प्रकार मांगी गई निविदाएं 14-8-1981 को खोली गयीं और निविदा समिति द्वारा उन पर विचार किया गया । चूंकि इनमें दी गई दरें ऊंची समझी गयीं, इसलिये निविदा समिति द्वारा समझौता करने की सिफारिश की गई जिसे सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया था । तदनुसार, निविदा समिति ने निविदाकारों के साथ 17-10-1981, 9-12-1981 और 28–12–1981 को 3 बार समझौता किया और जिस निम्नतम प्रस्थापना पर समझौता हुआ था उसे स्वीकार करने की सिफारिश की गई । निविदा समिति की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई और जिस निविदाकार के साथ निम्नतम दर पर समझौता हुआ था उसे स्वीकृति-पत्र जारी कर दिया गया ।

(घ) समझौता किये जाने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सीमा नहीं है । प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जानी होती है । इस मामले में तीन बार समझौता हुआ था ।

Western Railway Goods Depot

1963. SHRI RAMESHWAR NEEKHRA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: